

मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक
11.09.2015 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति:

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक/संयोजक, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
4. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, कपूरथला, लखनऊ।
6. श्री शेष नाथ यादव, एफ0एस0ओ0 प्रतिनिधि, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ।

अन्य उपस्थिति

1. जोनल अधिशासी अभियन्ता व उनके सहायक।
2. विभिन्न मानचित्र के भू-स्वामी/विकासकर्ता।

कार्यवाही:

बैठक में प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्न निर्णय प्रदान किया।

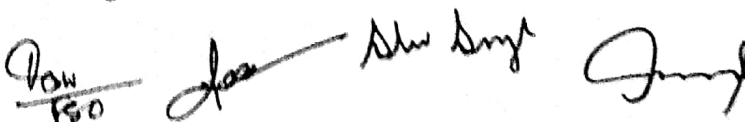
विषय सं0-1 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित रतन खण्ड योजना पर व्यावसायिक भूखण्ड, क्षेत्रफल-7308 वर्गमी0 पर प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माण से सम्बन्धित मानचित्र।

समिति की संस्तुति:

प्राधिकरण की शारदानगर योजना के रतनखण्ड के 7308 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर प्रस्तावित 18 मी0 ऊँचाई के व्यावसायिक भवन मानचित्र में भू-आच्छादन, सेटबैक, एफ0ए0आर0 व पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है:-

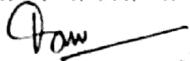
प्रतिबन्ध:-

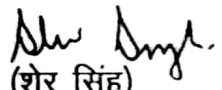
1. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेबर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना होगा।

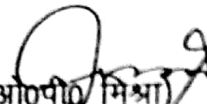


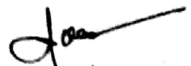
11. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किया जाना होगा।
12. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
13. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना पट्ट लगाना होगा।
14. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा माँगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
15. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि आवेदक द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।


(चन्द्रशेखरादव)
(कैम ~~प्रमुख~~ ~~प्रमुख~~)
एफ0एस0ओ0, प्रतिनिधि,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।


(शेर सिंह)
नियोजक, सम्भागीय नियोजन
खण्ड, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, उ0प्र0,
कपूरथला, लखनऊ।


(ओ0पी0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता
ल0वि0प्रा0


(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक/
संयोजक
ल0वि0प्रा0,


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम व लैंड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित करना होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध करना होगा।

विषय सं०-2 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एच में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति:

प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एच के 2376.50 वर्गमी० व्यावसायिक उपयोग के भूखण्ड को प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा दिनांक 16.01.2014 को आवासीय उपयोग में परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदक्रम में अफोडेबल हाउसिंग के अन्तर्गत प्रस्तावित सामूहिक आवास योजना के भवन मानचित्र में भू-आच्छादन, सेटबैक, एफ०ए०आर० व पार्किंग आदि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है:-

प्रतिबन्ध:-

1. अफोडेबल आवास के अन्तर्गत प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की लागत की सीलिंग का बिन्दु तकनीकी समिति की परिधि के बाहर होने के दृष्टिगत इस बिन्दु पर प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करते हुये अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर संस्तुति की गयी है।
2. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाये।
4. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम व लैंड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का प्रमाण-पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।

विषय सं०-3: चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तावित गर्ल्स हास्टल, एकेडमिक ब्लॉक, गेस्ट हाउस आडिटोरियम व अन्य निर्माण से सम्बन्धी भवन मानचित्र के सम्बन्ध में

समिति की संस्तुति:

चक गंजरिया फार्म परियोजना के तलपट मानचित्र में आरक्षित 50 एकड़ भूमि पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैम्पस में भवन उपविधि के अनुसार आवश्यक 10

Jan
120

Jan

Jan